नम्बर अहलकाम की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौमा)
न अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

236 /17 — तारीख रजू 29.12.2017 — तारीख निर्णय 30.05.2018

उनवान

1. दीना खां पुत्र शिमरू जाति मेव निवासी ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर।
..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।
2. नसरू खां पुत्र सम्पत जाति मेव निवासी ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर।
.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.20, 1540 रकबा 0.48, 1541 रकबा 0.27 हैक्ट0 जिनके साबिक खसरा नम्बर 939 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पिता सम्पत व सिमरू की खातेदारी की आराजी थी जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2027 से साबित है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में एक साबिक खसरा नम्बर था जो सैटलमेन्ट सम्वत 2058 में नये खसरा नम्बर कायम हुए। विवादित आराजी का पूर्व में वादी के पिता व प्रतिवादी सं0 2 के मध्य विधिक बंटवारा हो चुका है जिस बटवारे का इन्तकाल सं0 113 दर्ज व स्वीकार होकर अमल में आ चुका है। बंटवारा अनुसार खसरा नम्बर 939 मिन रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा तरफ उत्तर प्रतिवादी सं0 2 के पिता सम्पत के हिस्से में आई तथा खसरा नम्बर 939 मिन रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा तरफ दक्षिण वादी के पिता सिमरू के हिस्से में आई। उपरोक्त बंटवारे के अनुसार ही वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पिता विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादी सं0 2 बंटवारा अनुसार ही मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। बन्दोबस्त सम्वत 2058 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 939 मिन रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा तरफ उत्तर के नये खसरा नम्बर 1540 रकबा 0.48 कायम किये गये व खसरा नम्बर 939 रकबा 1 बीघा 17

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.20 व ख0 नं0 1541 रकबा 0.27 हैक्ट0 कायम हुये। बन्दोबस्त सम्वत 2058 द्वारा विवादित आराजी का नक्शा मौका व कब्जा व साबिक रिकार्ड के विपरीत सहबन से तरफ दक्षिण में खसरा नम्बर 1540 रकबा 0.48, व तरफ उत्तर में 1539 रकबा 0.20 व 1541 रकबा 0.27 हैक्ट0 कायम किये। जबकि बन्दोबस्त विभाग को साबिक रिकार्ड के मुताबिक खसरा नम्बर 1540 को तरफ उत्तर व खसरा नम्बर 1539 व 1541 को तरफ दक्षिण में कायम करना चाहिए था। जो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से सहबन से गलती हुई है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.20 व 1541 रकबा 0.27 हैक्ट0 को नक्शे में तरफ दक्षिण में दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 1540 रकबा 0.48 हैक्ट0 को तरफ उत्तर में दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किया जावे व हाल नक्शा ट्रेस को सही मौके व कब्जे व साबिक रिकार्ड के अनुसार बनाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौमा में दिनांक 30.05.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान को आवाज दिलाई गई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान ने कथन किया कि हम दोनों पक्षकारान में सहमति राजीनामा हो गया है। दावे में अंकित खसरा नम्बरान को दावे में दर्ज खसरा नम्बर 1539 व 1541 को नक्शे में तरफ दक्षिण तथा खसरा नम्बर 1540 को तरफ उत्तर अंकित कर दे, राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर दें हाल ट्रेस नक्शा सही कर दे। सम्वत 2058 के पूर्व रिकार्ड के अनुसार। पक्षकारान के हस्ताक्षर कराये गये।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौमा में दिनांक 30.05.2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। राजीनामे पर पक्षकारान को सुना गया। मुताबिक राजीनामें के अनुसार सम्वत 2058 से पहले बटवारे के नामान्तकरण सं0 113 एवं साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजस्व रिकार्ड व हाल नक्शे में अंकन किया जावे। मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

जिला अलवर के आराजी हाल खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.20 व 1541 रकबा 0.27 हैक्ट0 को नक्शे में तरफ दक्षिण में दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 1540 रकबा 0.48 हैक्ट0 को तरफ उत्तर में दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किया जावे व हाल नक्शा ट्रेस को सही मौके व कब्जे व साबिक रिकार्ड के अनुसार बनाये जाने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चौमा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौमा)
पीठासीन अधिकारी :— श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/236 /17	29.12.2017	30.05.2018

उनवान

1. दीना खां पुत्र शिमरू जाति मेव निवासी ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर।
..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।
2. नसरू खां पुत्र सम्पत जाति मेव निवासी ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम चौमा तहसील रामगढ जिला अलवर के आराजी हाल खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.20 व 1541 रकबा 0.27 हैक्ट0 को नक्शे में तरफ दक्षिण में दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 1540 रकबा 0.48 हैक्ट0 को तरफ उत्तर में दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किया जावे व हाल नक्शा ट्रेस को सही मौके व कब्जे व साबिक रिकार्ड के अनुसार बनाये जाने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

प्रपत्र–4

...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.......................

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

केम्प कोर्ट का स्थानः– ग्रा० पं० चौमा

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 30.5.18

...मे,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय्

दीना ...बनाम राज० सरकार

प्रकरण संख्या :– 1/236/17 ...अन्तर्गत धारा रा.का. 88,89

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री दीना व प्रतिवादी नसरु ... उक्त प्रकरण आपके न्यायालय मे लम्बित है। उक्त प्रकरण में ...का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय मे लम्बित है। हम पक्षकारो हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा। हम पक्षकारो के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ हैः–

हम दोनो पक्षकारान् में सहमति राजीनामा हो गया है। नक्शे में अंकित खसरा नम्बरान को नक्शे में दर्ज ... तरफ दक्षिण तथा ख०न० 1540 के ख०न० – 1539 व 1541 को नक्शे में तरफ ... राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करके ... तरफ उत्तर अंकित करके ... संवत 2058 के पूर्व रिकार्ड के अनुसार ... नक्शा सही करके।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष
1. दीना खाँ
2. ....
3. ....
4. ....

प्रतिवादी पक्ष
1. नसरु
2. ....
3. ....
4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]
(वादी पक्ष) नाम सरपंच ग्राम पंचायत चौमा पं० स० रामगढ़ (अलवर)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]
(प्रतिवादी पक्ष) नाम सरपंच ग्राम पंचायत चौमा पं० स० रामगढ़ (अलवर)

प्रार्थी/वादी ....एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी.......................
..............द्वारा सम्मिलित रुप से राजीनामा पेश किया गया । राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहें।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

[signature]
( )
पीठासीन अधिकारी